...पुर

7.7.2020	आज यह पत्रावली प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विड्रा करने की अनुमति चाही है। प्रार्थी स्वयं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र विड्रा करना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र चलने योग्य न रहने पर विड्रा में खारिज किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रार्थी की पहचान अधिवक्ता श्री लागवीरसिंह सेवदा द्वारा की गई। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। RW

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.09.09 15:01:53 IST
Reason: SelfAttested